

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक: प.1(2)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 16 MAY 2016

:: अधिसूचना ::

नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, पूर्व में जारी अधिसूचनाओं दिनांक 04.02.1994 की निरन्तरता में दिनांक 04.02.1994 के पश्चात सृजित, जिला मुख्यालयों पर स्थापित अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों को छोड़कर शेष अन्य स्थानों पर स्थापित अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों को तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा, पाली, जालोर एवं जैसलमेर को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के बारे में अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है, एवं उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से


(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. Gen./II/2016/(S)/ 719 Dated : 25/05/2016

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

- 1.All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench, Jaipur. Registrar (Classification)/CPC, RHC, Jodhpur with a request to upload the same at Rajasthan High Court website.
- 2.All District and Session Judges.
- 3.All Special Judge, (N.D.P.S. Act cases).
- 4.All Additional District & Sessions Judges. / All C.J.M.s
- 5.Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, computer cell (for update & mail to concerned DJ), Rajasthan High Court, Jodhpur.


25.5.16
REGISTRAR (RULES)

730
28/5/16